# न्यायालय, अवर न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

## विभाजन वाद–05 / 2017

हरिनन्दन राय वगैरह.....वादीगण

बनाम

रामानन्द राय वगैरह .....प्रतिवादी

**आदेश**

02.11.22 अभिलेख आज वादीगणों की ओर से दिनांक–25.03.2022 को दाखिल निषेधाज्ञा आवेदन तथा उसके तत्संबंधित कारण–पृच्छा दिनांक–23.09.2022 पर उभय पक्षों की सुनवाई प्रश्चात् आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है।

वादी ने अपने आवेदन में यह निवेदन किया है कि उन्होंने गंग सिकस्त भूमि, अंतर्गत तौजी सं0–404 के लिए बंटवारा वाद दाखिल किया है जो रामचन्द्र महतो को जमींदार जमुना दास द्वारा रसीदी बंदोबस्ती द्वारा प्राप्त था एवं वे उस सम्पत्ति के दखल–कब्जे में थे। उस भूमि को विक्रयविलेख दिनांक–09.09.1986 के द्वारा आवेदकगणों को विक्रय किया गया और उन्हें विवादित भूमि प्राप्त हुई, परन्तु प्रतिवादीगणों द्वारा विवादित भूमि पर नाजायज दावा एवं हरकत करते हुए निर्माण कार्य करना चाहते हैं जिससे वादी को अपूर्णीय क्षति होगी जबकि प्रतिवादीगणों ने वर्तमान वाद दायर करने की भी जानकारी है। अतः विवादित भूमि के संरक्षण हेतु व्यादेश द्वारा प्रतिवादीगणों को अविधिक निर्माण कार्य करने से रोके जाने की कृपा की जाए।

प्रतिवादी तृतीय पक्ष द्वारा उपरोक्त आवेदन के कारण–पृच्छा में यह निवेदन किया गया है कि वादी का प्रतिवादी के साथ कोई हकियत या दखल–कब्जा की एकता नहीं है और विवादित भूमि पर आवासीय मकान के साथ प्रतिवादी का दखल–कब्जा है। विवादित भूमि जमींदार बाबू जमुना प्रसाद सिंह एवं उनके भाई की थी जिसे उन्होंने सुमित्रा देवी और उनके पुत्र सरयुग प्रसाद सिंह के पक्ष में बिक्री कर दिया तथा उनके वारिसानों ने प्रतिवादी के पूर्वज को विक्रयविलेख दिनांक–17.06.1960 द्वारा हकियत का अंतरण हुआ जिसपर वे दखल–कब्जे में चले आ रहे हैं। अतः वादी का वर्तमान वाद में हकियत एवं दखल–कब्जा नहीं है तथा व्यादेश आवेदन खारिज किए जाने योग्य है।

2/11/22

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वर्तमान वाद वादी द्वारा विवादित भूमि के संबंध में चार बिगहा चार कट्ठा सोलह धूर की प्रारम्भिक डिक्री के लिए बंटवारा हेतु वर्तमान वाद दायर किया है जबकि वादी ने इस तथ्य को अपने आवेदन में स्वीकार किया है कि वह भूमि जमींदार जमुना दास की थी जिसे रामचन्द्र प्रसाद महतो को वर्ष 1935 में रसीदी बंदोबस्ती का हवाला देते हुए दस्तावेज दिनांक–09.09.1986 द्वारा खरीदगी होना बतलाया है। वादपत्र में वादी एवं प्रतिवादी के मध्य किसी प्रकार की ऐसी कोई वंशावली का उल्लेख नहीं है जिसके आधार पर बंटवारा की डिक्री प्रदान की जा सके, जबकि मामला यह है कि जिस भूमि को वादी रसीदी बंदोबस्तीदार से वर्ष 1986 में खरीद होना बतलाते हैं वहीं भूतपूर्व जमींदार से केवाला दस्तावेज वर्ष 1960 द्वारा प्रतिवादीगणों के पूर्वजों को विक्रयविलेख दिनांक--17.06.1960 द्वारा प्राप्त है। जिस विक्रयविलेख के संबंध में वादी द्वारा किसी अनुतोष की मांग नहीं की गई है। अतः वादी द्वारा किए गए वादपत्र में अभिवचन के अनुसार हकियत के संबंध में कुछ आवश्यक तथ्यों का लोप उन्हें प्रथम दृष्टया वाद प्रदान नहीं करता है। जहॉ तक सुविधा के संतुलन का प्रश्न है तो विवादित भूमि के संबंध में दखल–कब्जा के संबंध में किसी प्रकार के अभिवचन या अनुतोष की मांग वादी द्वारा नहीं की गई है जबकि प्रतिवादीगणों द्वारा यह स्पष्ट कहा गया है कि वे वादी के परिवार के सदस्य नहीं है एवं बतौर खरीददार आवासीय मकान

P.S-05/2017

02.11.22 बनाते हुए विवादित भूमि के दखल–कब्जा में है। अतः दखल–कब्जा के संबंध में भी सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष मे नहीं है। उपरोक्त दोनों तथ्यों के अभाव में न्यायालय यह अवधारित करती है कि वादी को वर्तमान समय में किसी प्रकार की कोई अपूर्णीय क्षति की सम्भावना नहीं है। इस प्रकार वादी द्वारा दाखिल उपरोक्त निषेधाज्ञा आवेदन तत्वहीन एवं तथ्यविहीन पाते हुए खारिज किया जाता है। **यहाँ यह उल्लेखनीय है कि न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया वाद के संबंध में उपरोक्त दिया गया मंतव्य अंतिम नहीं है। अतः उसे पक्षकारों द्वारा बतौर साक्ष्य अपने दावे के समर्थन में उपयोग नहीं किया जाएगा एवं साक्ष्य के अनुरुप उनका अंतिम विनिश्चयन सुनिश्चित होगा।**

वाद दिनांक– 18-11-2022 वास्ते 89 सी0पी0सी0 पर सुनवाई हेतु प्रस्तुत रहें।

अवर न्यायाधीश,
शाहपुर पटोरी।